इंडिया फाउंडेशन फॉर दि आर्ट्स (आयएफए)
कला अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत
भारत में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-लाभकारी विद्यालयों द्वारा
कला समावेशित परियोजनाएँ
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: **December 15, 2026**

कला शिक्षा के माध्यम से अध्यापन और सीखने को मजबूत करने के लिए इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स (आयएफए) भारत के गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-लाभकारी स्कूलों में कला समावेशन परियोजनाओं को लागू करना चाहता है।

कला अध्ययन कार्यक्रम कलि-कलिसु ('सीखें' और 'सिखाएँ') कार्यक्रम का उद्देश्य पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षण पद्धतियों के लिए विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके स्कूलों में सीखने को एक आकर्षक और आनंददायक अनुभव बनाना है।

इस विचार के अनुरूप, आयएफए, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-लाभकारी स्कूलों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कला से जुड़ी शिक्षाशास्त्र के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना और छात्रों के बीच जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है।

पिछले वर्षों की हमारी कुछ परियोजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।

परियोजनाओं का दायरा:
ये परियोजनाएँ निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्य प्राप्त कर सकती हैं:

- कक्षा में सीखने और सिखाने में स्थानीय कला रूपों और सांस्कृतिक परंपराओं को शामिल करना।
- सभी विषयों की सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में कला का समावेश।
- कक्षा में सीखने में छात्रों के व्यावहारिक अनुभव को शामिल करना।
- स्थानीय कलाकारों और सामुदायिक संसाधनों के साथ काम करना।

परियोजना की अवधि: न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम एक वर्ष और छह महीने`

बजट (आय-व्ययक): अधिकतम रु. ४,००,०००/- (चार लाख रूपये)

प्रस्ताव कौन भेज सकता है?
गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त या गैर-लाभकारी स्कूल। संस्था को स्थानीय भाषाओं में काम करना चाहिए। उन्हें यह भी मानना चाहिए कि कला और संस्कृति शिक्षण और सीखने का एक अभिन्न अंग हैं।

पात्रता:

- स्कूल का स्वामित्व या संचालन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऍक्ट १८६० या इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट १८८२ के तहत पंजीकृत किसी संस्था द्वारा किया जाना चाहिए।
- विद्यालय कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में रहा हो।

- विद्यालय के पास कम से कम दो साल का लेखापरीक्षित लेखा विवरण (ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स) होना चाहिए।
- स्कूल का वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए।

प्रस्ताव भेजने हेतु दिशानिर्देश:
आप अपना प्रस्ताव अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में लिख सकते हैं। आयएफए अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में परियोजनाओं को बढ़ावा देता है।

आपके अंतिम प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:
- परियोजना का शीर्षक
- उद्देश्य / लक्ष्य / विद्यालय का अवलोकन
- छात्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
- प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्य
- प्रक्रियाएँ और विस्तृत कार्य योजनाएँ
- परियोजना का हिस्सा बनने वाले लोगों के बारे में जानकारी
- परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया
- परियोजना के अपेक्षित परिणाम
- बजट (आय-व्ययक) का विस्तृत विवरण

निम्नलिखित दस्तावेज़ परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए जाने चाहिए:
- ट्रस्ट डीड / मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति
- वर्तमान ट्रस्टियों / सदस्यों की सूची और परिचय
- सोसायटीज अॅक्ट की धारा 12A के तहत पंजीकरण की प्रति
- पिछले दो वर्षों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (ऑडिटर्स रिपोर्ट) / लेखापरीक्षित लेखा विवरण (ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स)
- संस्था के पर्मनंट अकाउंट नंबर (पैन) की प्रति
- पिछली या वर्तमान कला शिक्षा गतिविधियों (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी

अंतिम प्रस्ताव, सभी परिशिष्टों के साथ, **December 15, 2026** को या उससे पहले २५ एमबी से कम आकार के एकल ईमेल के माध्यम से deepak@indiaifa.org पर भेजा जाना चाहिए।
**Subject line: IFA National Schools 2026-27 Proposal**

कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण प्रस्तावों तथा आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया: एक बाहरी पैनल चयनित प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा और आवेदकों को अपनी परियोजनाएँ पैनल के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। परियोजना चयन के संबंध में आयएफए का निर्णय अंतिम होगा।

सभी चयनित परियोजनाओं का क्रियान्वयन आयएफए द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

- अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: **December 15, 2026**
- चयनित परियोजनाओं की घोषणा की तिथि: **January 2027**

***कृपया ध्यान दें: आयएफए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ बच्चों सहित सभी को समर्थन, सम्मान और सुरक्षा मिले। यह आवेदक के लिए भी अनिवार्य है।***